



459/1

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

02/12/16

दिनांक : नवम्बर-2016

पत्रांक : 4219 / 05 / 76 / एक / 2016-17

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-गोण्डा।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
केनरा बैंक	2832101008199	IFSC Code CNRB0002832	252.373

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 25 मो०-नई बाजार में श्री दिलदार के मकान से ताज के मकान होते हुए हबीब के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.809
2	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 25 मो०-नई बाजार में कटरा रोड से शरीफ बाबा के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.779
3	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 04 मो०-गाड़ी बाजार पूर्वी में शुएब अंसारी के मकान से कामिल के मकान होते हुये पूर्व सभासद नफीसा के मकान व डा० मबूद के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.343
4	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 मो० बालूगंज में लखन सोनी के मकान से ओम प्रकाश टेन्ट वाले के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.496
5	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 05 मो० नई बाजार में अली रजा कुरैशी के मकान से मारुक खां के मकान होते हुये साविर साइकिल वाले के मकान तथा मैकू हरजन के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.253
6	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 04 मो० गाड़ी बाजार में राजेश बीड़ी वाले के मकान से नन्कू अंसारी के मकान होते हुये हाजी मुन्ना के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.059
7	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	मो० सदर बाजार में आलम आटो पार्ट्स से शब्बीर झाइवर के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.690
8	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	मो० गुड़ाही बाजार में कन्हैया के घर से दयानन्द स्कूल होते हुये मेराज के घर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.987



459/2

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
9	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 मो० बालूगंज में डा० नसीर के मकान से अलवफा टेलर्स की दुकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.563
10	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 24 मो० सदर बाजार में अलताफ के मकान से रहमत व नजीर इण्डन के मकान होते हुये खलीफा मस्जिद का पूरा चबूतरा व पूरा मैदान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.906
11	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 11 मो० सकरौरा पश्चिमी में श्री मो० नाफे के मकान से फसी के मकान होते हुये खालिक राईनी के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.677
12	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	मो० सकरौरा सी०सी० रोड से श्री शाह मोहम्मद के घर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.779
13	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 05 मो० नई बाजार में कब्रिस्तान शाही तकिया कब्रिस्तान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.690
14	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 17 मो० नई बाजार में महमूद के मकान से मुजीबत उल्ला के मकान व निसार राईनी के मकान होते हुये गुलाम रसूल के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.699
15	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	मो० गुड़ाही बाजार में मिश्रा मेडिकल स्टोर से आफताब के घर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.851
16	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	मो० सकरौरा में रामधन कश्यप के मकान से पुलिया होते हुये सरयू डिग्री कालेज सम्पर्क मार्ग तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.253
17	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 11 मो० सकरौरा पश्चिमी में श्री इब्राहिम के खेत से हासिम के मकान होते हुये श्री मोहययुददीन के मकान तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.690
18	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 06 बमप्लुस में परसपुर रोड से गुलाम नवी के घर से इशियाक के घर होते हुये इसरार के घर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.914
19	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 21 कसगरान में फजल के घर से हाजी जमाल के घर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.078
20	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 सदर बाजार में ताज मोहम्मद के घर से इरशाद खां के घर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.972
21	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 सदर बाजार में असलम कुरैशी के घर से हनुमानगढ़ी मन्दिर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.861
22	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 06 बमप्लुस में परसपुर रोड से डाक्टर फरीद के घर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.829



459/3

दस्तावेज- 2266709  
2266710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
23	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 करनैलगंज	वार्ड नं० 21 कसगरान में कजीर मोहम्मद के घर से सरवर के घर तक रबड़ मोल्डेड इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.848
24	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड सं० 10 मोहल्ला दर्जी पूर्वी में बडी मस्जिद से रज्जब के प्लॉट तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	12.082
25	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड सं० 07 मोहल्ला पुरानी बाजार में बाईपास से कालीथान मन्दिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	7.371
26	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड सं० 09 मोहल्ला चिकवा बधिया में हसनू के घर से समायदीन के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	9.062
27	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड सं० 09 मो० दर्जी पश्चिमी में शहीद मर्द बाबा पुलिया से स्व० मुनीर अहमद बालिका महाविद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	5.374
28	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड सं० 10 मो० दर्जी पूर्वी में बृजलाल के घर से मैनुददीन के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	3.061
29	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड सं० 06 मो० हरवाहनपुरवा में मिश्र वर्मा के घर से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.353
30	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड सं० 01 मो० कटहरिया उत्तरी में जाहिद अली के घर से हरी शंकर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.041
31	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड सं० 01 मो० कटहरिया उत्तरी में पू०मा० कन्या पाठशाला से अयूब के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	15.103
32	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड नं० 07 मोहल्ला पुरानी बाजार में गोमती के प्लॉट से बुद्ध के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.353
33	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड नं० 07 मोहल्ला पुरानी बाजार में नसीर के घर से जाहिद अली के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.020
34	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं० खरगपुर	वार्ड नं० 07 मोहल्ला पुरानी बाजार में जगन्नाथ के घर से जगदीश मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	4.529
	योग				252.375

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।





59/7


दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यववर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।


भवदीय,

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक